

**उन मामलों का विवरण जिनमें वर्ष 2015-16 के दौरान विज्ञापन के पश्चात
अनुरोध रद्द किये गये**

| क्र. सं. | पद/मंत्रालय का नाम और वेतनमान क्र. सं. | सम्मि लित पदों की संख्या | रद्द करने के लिए कारण |
|----------|--|-----------------------------------|--|
| (1) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय (67000- 79000) | 1 | उक्त पद पर एक विभागीय उम्मीदवार के पदोन्नति हेतु पात्र हो जाने के कारण खान मंत्रालय के अनुरोध पर भर्ती को रद्द किया गया। |
| 2. | उप निदेशक, परीक्षा सुधार, संघ लोक सेवा आयोग (15600-39100 + 6600 रु.) | 1 | भर्ती नियमों में विसंगति के कारण आयोग द्वारा भर्ती रद्द की गई। |
| 3. | उप निदेशक, परीक्षा सुधार, संघ लोक सेवा आयोग (15600-39100 + 6600) | 1 | भर्ती नियमों में विसंगति के कारण आयोग द्वारा भर्ती रद्द की गई। |
| 4. | सहायक प्रोफेसर (यूनानी), इल्मुल अदविया, आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज व अस्पताल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (15600-39100 + 5400) | 2 | अर्हताओं की मान्यता संबंधी स्पष्टीकरण के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुरोध पर भर्ती रद्द की गई। |
| 5. | सहायक प्रोफेसर (यूनानी), तहफ़ज़्जी वा सामजी तिब्ब, आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज व अस्पताल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | 2 | अर्हताओं की मान्यता संबंधी स्पष्टीकरण के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुरोध पर भर्ती रद्द की गई। |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | (15600-39100 + 5400) | | |
| 6. | सहायक प्रोफेसर (यूनानी), निस्वान काबलात, आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज व अस्पताल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (15600-39100 + 5400) | 1 | अर्हताओं की मान्यता संबंधी स्पष्टीकरण के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुरोध पर भर्ती रद्द की गई। |
| 7. | सहायक प्रोफेसर (यूनानी), मोआलिजात, आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज व अस्पताल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (15600-39100 + 5400) | 1 | अर्हताओं की मान्यता संबंधी स्पष्टीकरण के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुरोध पर भर्ती रद्द की गई। |
| 8. | सहायक प्रोफेसर (यूनानी), इल्मुल अमराज़, आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज व अस्पताल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (15600-39100 + 5400) | 2 | अर्हताओं की मान्यता संबंधी स्पष्टीकरण के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुरोध पर भर्ती रद्द की गई। |
| 9. | सहायक प्रोफेसर (यूनानी), अमराज़-ए-जिल्द, आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज व अस्पताल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (15600-39100 + 5400) | 1 | अर्हताओं की मान्यता संबंधी स्पष्टीकरण के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुरोध पर भर्ती रद्द की गई। |
| 10. | सहायक प्रोफेसर (यूनानी), इल्मुल सईदला, आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज व अस्पताल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 2 | अर्हताओं की मान्यता संबंधी स्पष्टीकरण के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुरोध पर भर्ती रद्द की गई। |

| | | | |
|-----|---|----|--|
| | (15600-39100 + 5400) | | |
| 11. | सहायक प्रोफेसर (यूनानी), मुनाफ-उल-अज़ा, आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज व अस्पताल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (15600-39100 + 5400) | 1 | अर्हताओं की मान्यता संबंधी स्पष्टीकरण के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुरोध पर भर्ती रद्द की गई। |
| 12. | सहायक डिवीजनल दंत शल्य चिकित्सक, भारतीय रेल, रेल मंत्रालय (15600-39100 + 5400) | 13 | निःशक्त व्यक्तियों के संबंध में आरक्षण से संबंधित तकनीकी समस्या के कारण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुरोध पर भर्ती रद्द की गई। |
| 13. | दंत शल्य-चिकित्सक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (15600-39100 + 5400) | 10 | निःशक्त व्यक्तियों के संबंध में आरक्षण से संबंधित तकनीकी समस्या के कारण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुरोध पर भर्ती रद्द की गई। |
| 14. | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय (15600-39100 + 5400) | 1 | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के बेशी स्टाफ प्रकोष्ठ द्वारा प्रायोजित एक बेशी अधिकारी की सिफारिश किए जाने के कारण पदों की संख्या घटाकर 23 से 22 की गई। |
| 15. | अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण), संघ लोक सेवा आयोग (15600-39100 + 5400) | 1 | पदों की संख्या घटाकर दो से एक की गई। |
| 16. | चिकित्सा अधिकारी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (स्वास्थ्य सेवा संवर्ग), अंडमान और निकोबार प्रशासन | 15 | पदों की संख्या घटाकर 24 से नौ की गई। |

| | | | |
|-----|--|---|-------------------------------------|
| | (15600-39100 + 5400) | | |
| 17. | शिक्षा अधिकारी / शिक्षा के सहायक निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | 1 | पदों की संख्या 20 से घटाकर 19 हो गई |